भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 188
जिसका उत्तर मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को दिया जाएगा

भारत मानक प्राधिकरण की स्थापना

188 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा नए कानून के द्वारा एक व्यापक मानकीकरण संरचना को विकसित करने के लिए भारत मानक प्राधिकरण की स्थापना हेतु क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या मंत्रालय ने हमारे देश के लिए मूल्यवान जानकारी एकत्र करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन किया है जिससे हमारे गुणवत्ता मानकों को और बेहतर बनाया जा सके; और
(ग) क्या मंत्रालय ने विधिक माप विज्ञान प्रणाली की दक्षता को और अधिक बढ़ाने तथा देश में विधिक माप विज्ञान प्रणाली के लिए एक समेकित दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने हेतु नए संशोधन करने के लिए प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की है, ताकि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी व्यापारिक प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो सके?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): मानकीकरण ढांचे को बढ़ावा देने के भारत के प्रयास 1947 में भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की स्थापना के साथ 6 जनवरी, 1947 को शुरू हुए।

इसके बाद, 1986 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का गठन किया गया, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के नाम से जाना जाता है। बीआईएस की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए की गई थी और इसने आईएसआई के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लिया।

सबसे हालिया विधायी मील का पत्थर बीआईएस अधिनियम, 2016 का अधिनियमन था, जो 12 अक्टूबर, 2017 को लागू हुआ और बीआईएस को विस्तारित शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। बीआईएस भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में सभी भूमिकाओं और कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहा है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में देश में एक व्यापक मानकीकरण ढाँचा तैयार करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी, देश में मानकीकरण एवं प्रमाणन ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए बीआईएस नियम, 2017 और बीआईएस (प्रमाणन) विनियम, 2018 में संशोधन किए गए हैं।

(ख): बीआईएस ने भारत के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया है, जिसमें मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रूपरेखा शामिल है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।

भारतीय मानक ब्यूरो, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में, दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठनों, अर्थात् आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन) और आईईसी (अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार, अन्य देशों के राष्ट्रीय मानक निकाय भी आईएसओ और आईईसी के सदस्य हैं।

बीआईएस नियमित रूप से आईएसओ और आईईसी के अधिकांश शासी निकायों में पदों पर कार्यरत रहता है। इन मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत के माध्यम से, बीआईएस विशेषज्ञ नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से स्वयं को अद्यतन करते हैं और उन्हें भारत में उचित रूप से लागू करते हैं।

इसके अलावा, बीआईएस के तकनीकी विशेषज्ञ आईएसओ और आईईसी की तकनीकी समितियों में भाग लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देते हैं। जब भी भारतीय मानक विकसित किए जा रहे हों और उसी विषय पर आईएसओ/आईईसी मानक मौजूद हों, तो इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने/अनुकूलित करने का एक सचेत निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में, आईएसओ/आईईसी मानकों वाले 93.7% भारतीय मानकों को उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ सुसंगत बनाया गया है।

(ग): विधिक मापविज्ञान प्रणाली की दक्षता और सुसंगतता में सुधार हेतु संशोधनों का सुझाव देने वाले अभ्यावेदनों की विधिवत जाँच की गई है। तदनुसार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उससे संबंधित नियमों के अंतर्गत कानूनी ढाँचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है। उठाए गए कदमों में प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करना, अनावश्यकताओं को दूर करना और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। डिजिटल समाधान भी लागू किए गए हैं, जैसे सभी सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर विशिष्ट घोषणाओं के लिए क्यूआर कोड लेबलिंग, और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई है और उपभोक्ता विश्वास बढ़ा है।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मापविज्ञान परिदृश्य में भारत की भूमिका को मज़बूत करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत को माप-तौल उपकरणों के लिए ओआईएमएल अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिससे वह मापविज्ञान संबंधी क्षमता के लिए मान्यता प्राप्त चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। अवसंरचना के उन्नयन, हितधारकों के परामर्श और राज्यों में एकीकृत मानकों को अपनाने से एक समेकित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय विधिक मापविज्ञान प्रणाली के निर्माण में योगदान मिला है जो वैश्विक बाज़ारों में भारतीय उत्पादों के प्रति विश्वास को बढ़ावा देती है।

*****